27.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व निवेदन किया कि प्रार्थिया पैर [illegible] ही रखने वाली है व वृद्धा है तारीख पेशी पर आने से रोल हो गई अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा/प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा भी पूर्व दोहराते बहस जवाब प्रार्थना पत्र है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कथन को दो होवराया व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अदर नियम परिशाष्ट प्रकरण व न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु पक्षकारान को सुनना न्यायोचित है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूलवाद व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पुनः दर्ज कर नम्बर पर लिया जावे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर शामिल मिसल रहे।

27/11/24